न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

पत्रावली संख्या : 38/2018 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

आसिमदीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर।

आवेदक

बनाम

सुशील पुत्र श्री ब्रजबिहारी जाति जैसवाल निवासी धनवाडा रोड जैन मंदिर के पास कुम्हेर जिला भरतपुर मालिक एवं विक्रेता मैसर्स ठेकेदार कोल्ड ड्रिंक्स स्टोर कुम्हेर जिला भरतपुर।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011.

उपस्थित :– 1. गैरसायल स्वयं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक : 29.8.2018

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायल प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को नोटिस जारी किया गया। गैरसायल नियत दिनांक को उपस्थित। प्रार्थी उपस्थित नहीं। गैर सायल को इस्तगासा की नकल देते हुये इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 13.10.2017 को प्रातः 11.30 बजे गैरसायल की मैसर्स ठेकेदार कोल्ड ड्रिंक्स स्टोर (सुशील मिष्ठान भण्डार) कुम्हेर का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण आम जनता के इस्तेमाल के लिए विक्रय हेतु एक स्टील की ट्रे में करीब 3 किलो खोया (मावा) संग्रहित पाया गया जिसमें मिलावट/संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–1062/एक्ट/2017/1083 दिनांक 10.11.2017 द्वारा उक्त खोया का नमूना अवमानक स्तर (Sub Standard) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा अवमानक स्तर का खोया/मावा आम जनता को विक्रय कर उक्त अधिनियम की धारा 51 का उल्लघंन किया गया है।

आरोपो को सुन व समझकर गैरसायल ने कथन किया कि प्रार्थी बहुत छोटा व्यवसायी है एवं छोटे स्तर पर व्यवसाय चला कर अपने परिवार का भरण–पोषण करता है। प्रार्थी की दुकान में दूध विक्रेताओं से प्राप्त दूध को संग्रहण कर दूध से खोया/मावा आदि तैयार कर विक्रय किया जाता है। गैरसायल के द्वारा कोई भी मिलावट कभी भी अपने स्तर से नहीं की गई है। विक्रय किये जाने वाले दूध से निर्मित खोया/मावा अवमानक स्तर का पाया गया है। जिसे वह स्वीकार करता है और भविष्य में गैरसायल अधिक सजगता बरतते हुए दूध विक्रेताओं से सही दूध प्राप्त कर ही मावा आदि का विक्रय करेगा। गैरसायल की प्रथम गलती है। अतः गैरसायल के प्रति नरम रूख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर गौर किया। वक्त निरीक्षण दिनांक 13.10.2017 को गैरसायल की फर्म से आमजनता के विक्रय हेतु दूध से निर्मित खोया (मावा) का नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–1062/एक्ट/2017/1083 दिनांक 10.11.2017 में अवमानक स्तर (Sub Standard) का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा स्वयं के स्तर पर खोया में कोई मिलावट नहीं करना तथा दूध विक्रेताओं से ही दूध क्रय कर खोया/मावा आदि तैयार करना जाहिर किया है। उनके द्वारा भविष्य में अधिक सजगता से दूध क्रय किया जाना दौराने सुनवाई स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में गैरसायल को भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। चूंकि गैरसायल के व्यापार परिसर पर मात्र 3 किलो ग्राम खोया ही वक्त जांच निरीक्षण संग्रहित पाया गया है, जो गैरसायल द्वारा दूध विक्रेताओं से दूध क्रय कर खोया तैयार किया गया है। गैरसायल के द्वारा उक्त अनियमितता प्रथम बार किया जाना भी स्वीकार किया गया है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 2000/– रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा कराकर तत्काल न्यायालय हाजा में जमा रसीद प्रस्तुत करें। तदनुसार कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.8.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्याय निर्णायन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy, Not Official